जी0 आर0 नं0 3165/19
कुढ़नी थाना–612/19

<u>आदेश</u>

19.09.19 काराधीन अभियुंक्त मो0 अकील की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा चालित किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त विल्कुल निर्दोष है एवं मिथ्या इस वाद में फंसाया गया है। तथा उनका यह भी कथन है कि आवेदक का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 16.9.19 से कारा में है। अतः उसके जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

अभियोजन द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया, सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है जो गंभीर प्रकृति का है। तथा आवेदक के पास से 300 गोली बरामद किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में वाद की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त मो0 अकील की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को <u>अस्वीकृत</u> किया जाता है।

लेखापित,

ए0सी0जे0एम0–तृतीय,
मुजफ्फरपुर, पश्चिमी।